न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 16/2016

1. बीरबल पुत्र दरायराम जाति मेघवाल निवासी बैरां 23 बीबी तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)।

1/1 तीजां बेवा बीरबल

1/2 बनवारी	पि. श्री बीरबल	सा. बेरां 23 बी.बी तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
1/3 देवीलाल		
1/4 जगदीश		
1/5 रामकुमार		

2. राजेश कुमार पुत्र दीनदयाल जाति अरोड़ा निवासी बैरां 23 बीबी तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

3. ज्ञान प्रकाश पुत्र फतहचन्द जाति अरोड़ा निवासी बैरां 23 बीबी तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (फौत)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर

3/1 सरोज देवी पत्नी ज्ञान प्रकाश

3/2 सुनील कुमार	पि. ज्ञान प्रकाश	जाति अरोड़ा नि. 23 बी बी (बेरा) तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3/3 अनिल कुमार		
3/4 सुमन		
3/5 कुमारी अनिता		

4. कालूराम पुत्र श्री फतहचन्द जाति अरोड़ा निवासी बैरां 23 बीबी तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (फौत)।

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

4/1 निर्मला देवी पत्नी श्री कालूराम		
4/2 कृष्ण कुमार	पि. श्री कालूराम	जाति अरोड़ा नि. 23
4/3 विमला		बी.बी. (बेरा) तहसील
4/4 बलराज		पदमपुर जिला
4/5 भूपेन्द्र		श्रीगंगानगर

—अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान
2. पाल सिंह पुत्र मघर सिंह जाति बाजीगर निवासी 3 जेजे तह. पदमपुर (मृतक)

2/1 जंगीर कौर पत्नी पाल सिंह		जाति बाजीगर निवासी
2/2 सतनाम सिंह	पि. पाल सिहं	3 जेजे तह. पदमपुर
2/3 गुड्डी		जिला श्रीगंगानगर
2/4 छिन्दो		
2/5 छिन्दो		

3. हनुमानदास पुत्र द्वारकादास जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू रा. अ. 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर
दिनांक 31.07.1984

16/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः–

श्री जीतपाल सिंह सैनी, अभिभाषक अपीलांट

श्री विक्रम विश्नोई, अभिभाषक अपीलांट

श्री भगत सिंह जाखड़, अभिभाषक रेस्पों.

श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 16/8/17

यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर की पत्रावली सं. 47/84 निर्णय दिनांक 31.07.84 के विरूद्ध पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली सरबरक में पृष्ठ सं. 1 ता 8 की में से पृष्ठ सं. 1 ता 6 मूल व 7 ता 8 राजस्व मण्डल की सत्यापित आदेशिकाओं की छाया प्रतियां है जो अपील विवेचन हेतु पृष्ठ सं 1 ता 6 ही Relevant है जो पृष्ठ सं. 6 का आदेश ही मुख्य रूप से अपीलाधीन है । आदेश की इबारत अनुसार आवंटन आदेश राज. उपनिवेशन (गंग नहर क्षेत्र में भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत आवंटन किया गया है जिसकी मूल अपील सं. 197/84 दर्ज रजिस्टर होकर 1984 से आज दिनांक तक लगभग 33 वर्षों से निर्णय की मोहताज है इन निर्णयों में लम्बा समय मियाद के बिन्दु के विनिश्चिय को लेकर अपील, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में नजरसानी माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच, डबल बैंच में विवेचित होकर तकनीकी औपचारिकताओं की आपूर्ति पश्चात्

16/8/17

delay condone होकर श्रवण योग्य है परन्त न्याय की उम्मीद, नाउम्मीद की फर्दअहकाम प्रक्रियाओं में मुंतकिली प्रार्थना पत्रों की वजह से लम्बित चलती रही। अंत्तोगोत्वा माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण सं. 7441/15 गंगानगर निर्णय दिनांक 11.02.2017 के निर्णय पश्चात् इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.08.2017 के अनुसार पत्रावली दिनांक 11.08.2017 को बहस पर नियत होकर उभय अभिभाषकगण की बहस सुनी जिसके तथ्य निम्न प्रकार है कि :–

1. मूल अपीलांट की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसान जैरकार अपील अपीलांट तथा रेस्पों. पाला सिंह की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान तथा हनुमान प्रसार स्वयं प्रकरण हाजा में रेस्पों. है । चूंकि प्रकरण बहुत पुराना है । सिलसिलेवार पैरावार अपील Rajasthan Colonisation (Gang Canal Lands Parmanent Allotment & Sales Rules) 1956 के तहत किये गये आवंटन के विरूद्ध पेश की गई है तथा अपील के चरण सं. 3 में आपत्ति अंकित की है कि आवंटन के लिए आवंटन कमेटी का गठन किया न ही इसकी राय ली बाबत सन्दर्भ नियम ~~46~~ 1956 उपरोक्त नियमों के नियम 6 में आवंटन की शक्तियां कलक्टर को है जो further delegate to SDO है । अतः कमेटी के गठन की आपत्ति सारहीन है ।
2. अपील के चार अपीलांट्स मे से 3 अपीलार्थी राजेश कुमार ज्ञान प्रकाश, कालूराम के क्लेम से संबंधित किसी तरह का कोई पत्राचार दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ।

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

क्योंकि अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के फार्म नं. 3 के साथ जो दस्तावेज पेश किए हैं वे सिर्फ बीरबल राम के तथाकथित पत्र पत्रादि हैं जो एक भी प्रमाणित एवं सत्यापित नहीं है फिर भी उन्हें पढ़ा जाए तो बीरबल राम का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.1983 बीरबल राम के पास भूमि नहीं है का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जो पटवार हल्का की रिपोर्ट दिनांक 31.10.1983 के आधार पर तहसीलदार पदमपुर द्वारा दिनांक 15.11.1983 को जारी होना जाहिर होता है जो किसी भी रूप में 1956 के नियमों के नियम 5 में पुख्ता आवंटन का आवेदन पत्र नहीं है । अतः अपीलांट बीरबल को इन नियमों के नियम 3 (1) (VIII a) का लाभ तभी मिल सकता है जब उसने Apply किया हो जो नहीं किया है ।

3. अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अन्य जो भी दस्तावेज संलग्न किए हैं वे सिर्फ कार्बन कॉपी है जो किसी भी रूप में साबित एवं प्रमाणित नहीं है कि पुख्ता आवंटन का कोई आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष/पास पहुंचा हो । अतः अपीलांट्स का कोई Locus Standai नहीं बनने के साथ–साथ अपील पेश करने की सक्षमता भी नहीं है जैसा कि अगर उन्हें अपनी बात कहनी है तो सीपीसी की धारा 96 की दरख्वास्त लगाना mandatory है जो लगाई नहीं है । अतः जो मांग ही नहीं की जाए वह दी भी नहीं जा सकती। अतः गुणावगुण में अपील के निर्णय का आधार उपर विवेचित तथ्य तथा नियमों

राजस्व अपील प्राधि
श्रीगंगानगर (रा

की कानूनी स्थिति जिसमें अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्कों पर बल दिया कि आवंटन के पश्चात् पिछले 33 वर्षों से विवादित आराजी पर काबिज है जो मियाद अधिनियम 1963 की Chepter IV Protection देता है। अतः उन्हें बेदखल नही किया जा सकता तथा इस विवादित आराजी का Title प्राप्त हो चुका है तथा अपीलांट का TC holder का Claim रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होने तथा नियमों के नियम 3 की प्राथमिकता हासिल नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है । अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्याय सिद्धान्त आर.आर.टी 2007 (2) पृष्ठ 1326 SB Civil Writ Petition 3564 of 2007 बाबूराम बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में निर्णय दिनांक 12.06. 2007 "Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rule 1975 Allotement of Land refused in appeal ACC and RAA remanded the matter with direction of issue notification to consider pending application."

4. रेस्पो. अभिभाषक द्वारा यह कहकर प्रतिकार किया कि न्याय सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर चस्पा योग्य नहीं है । क्योंकि अपीलांट का कोई आवंदन हीं लंबित नहीं था । अन्य न्याय सिद्धान्त आरआरडी 1995 पेज 179 अपील सं. 439 ग्राम पंचायत संगत कला बनाम चैन सिंह एवं अन्य निर्णय दिनांक 27.01.1995 जो सीपीसी की धारा 96 में अलग से अनुमति की आवश्यकता की अवधारणा का लाभ अपीलांट को देने

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

योग्य है । अतः तकनीकी आधार के बजाए गुणावगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित है ।

5. रेस्पो. के अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्याय सिद्धान्त प्रस्तुत किए यथा आर.आर.डी. 1993 पेज 596 Supreme Court Civil appeal 2681 of 1982 Decided of 19-03-1993 Brijlal Versus Board of Revenue and others Justice Kuldeep singh and MN KHandelwal की डबल बैंच में Held किया कि It would be travesly of justice to dispossess the appellant from Land which is he nourished for over a period of two decades" न्याय सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर चस्पा योग्य है । यही राय आरआरडी 1995 पेज 68 सिविल अपील सं. 6088/90 निर्णय दिनांक 10.03.1994 तेजा सिंह बनाम राजस्थान में प्रतिपादित हुआ है।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण के तर्कों पर मनन करने, प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों का अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं उनके विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट का कथन कि वह टीसी होल्डर था रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं है तथा अपीलांट का पुख्ता आवेदन का आवेदन भी लम्बित होना साबित नहीं होता है तथा उसकी प्राथमिकता भी नहीं बनती क्योंकि उसके द्वारा कोई विधिवत् सक्षम प्राधिकारी को आवेदन नहीं किया । प्रकरण में अपीलांट की Locus standai नहीं बनने तथा आवंटन के लिए आवंटन कमेटी की आपत्ति विधिसम्मत् नहीं होने एवं रेस्पो. को 34 वर्ष पूर्व आवंटित भूमि के कब्जे से बेदखल करना मियाद अधिनियम 1963 के Chepter IV

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

संशोधित शीर्षक प्रस्तुत है।

प्रतिबंधित करता है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.1984 जिसकी अपील की गई है, हस्तक्षेप की कोई गंजाइश नहीं होने से अपीलांट को कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती ।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)